

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

कंपनी सचिवालय प्रभाग

सं. सेक-1/8(1)/2009/1038

दिनांक: 27.5.2009

ऋण प्रस्ताव परिपत्र-सं. 005/2009

विषय:- आवधिक ऋणों और लघु अवधि ऋणों को उधार देने की दरों की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल की उप समिति को परामर्श देने हेतु और मौजूदा ब्याज दरों एवं संबंधित नियमों एवं शर्तों की समीक्षा के लिए समिति का गठन

आरईसी के निदेशक मंडल की उप समिति ने 20 मई, 2009 को आयोजित अपनी 20वीं बैठक में आरईसी ऋणों पर मौजूदा ब्याज दरों और संबंधित नियमों एवं शर्तों की मासिक आधार पर समीक्षा करने के लिए उप समिति को इस संबंध में परामर्श देने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक अलग समिति गठित करने की अनुमति दी है:-

1. कार्यकारी निदेशक (पारे. एवं वित्त.)
2. महाप्रबंधक (जेनरेशन) -1
3. महाप्रबंधक (वित्त) - कैट
4. महाप्रबंधक (वित्त) संसाधन

मुख्य प्रबंधक (वित्त) - परिसंपत्ति देयता प्रबंधन उपर्युक्त समिति के संयोजक होंगे।

ह./
(बी.आर.रघुनंदन)
महाप्रबंधक (विधि) एवं कंपनी सचिव